सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 17/2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री हारून खां तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा। हाल मुकाम–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री उत्तम ठाकुरिया पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ठाकुरिया, वार्ड नं0 12, अन्ता, जिला बारां **(विक्रेता)**
मैसर्स उत्तम कुमार दीपक कुमार, सब्जीमण्डी, अन्ता जिला बारां।

2– श्रीमती मंजुलता पत्नी श्री रामेश्वर दयाल ठाकुरिया, वार्ड नं0 12, अन्ता, जिला बारां **(मालिक)**
मैसर्स उत्तम कुमार दीपक कुमार, सब्जीमण्डी, अन्ता जिला बारां।

3– मैसर्स–एच.बी. एण्ड सन्स, बी–II–33, ऑटोमोबाईल नगर दिल्ली बाईपास, जयपुर **(निर्माता फर्म)**

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.05.2019

प्रकरण श्री हारून खां तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2018 को मैसर्स उत्तम कुमार दीपक कुमार, सब्जीमण्डी, अन्ता जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री उत्तम ठाकुरिया पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ठाकुरिया, वार्ड नं0 12, अन्ता, जिला बारां **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं हारून खां दिनांक 20.02.2018 को कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.07.2011 के गजट भाग 2 (क) के क्र0 38 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश एफएसएसए/एफएसओ /2014/787 दिनांक 26.09.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा आवंटित किया गया था और अधिसूचना राजस्थान के राज पत्र जनवरी 09, 2012 भाग (क) और के अनुसार कोटा जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) 200 मी.ली. मूल पैक** विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड) 200 मी.ली.** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (मिल्क फूड)** विक्रेता से 200 मी0ली0 की 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री उत्तम ठाकुरिया पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ठाकुरिया **(विक्रेता)** को 280/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर है तथा तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **घी (मिल्क फूड)** 200 मी0ली0 के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–750 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज खाकी मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–750 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री उत्तम ठाकुरिया पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ठाकुरिया **(विक्रेता)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा श्रीमान खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के डीओ एवं उपनिदेशक कार्यालय, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/46(4)/2018/48 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक LS 153/FSSA/Kota/Act/2018/189 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) जांच में मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिउत्तर नही किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 22.06.2018 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच

मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद पूर्णतया अवैधानिक एवं नियमों के अनुरूप प्रस्तुत नही किया गया है तथा जो नमूना लिया गया था वह विधि अनुरूप तथा एफ.एस.एस.ए. एक्ट में निर्धरित नियमों के अनुसार नही लिया गया है। फूड एनालिस्ट द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 में प्रतिप्रक्षी का सेम्पल **घी (डेयरी बेस्ट) 200 मि.ली. मिथ्याछाप (Mis Branded)** पाया गया है जो कि पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिपक्षी से लिये गये नमूने के पैकेट पर उत्पादन की तिथी एवं बेस्ट बीफोर के सामने किया गया अंकन पूर्णतया नियमानुसार लिखा गया था लेकिन फूड एनालिस्ट द्वारा जांच रिपोर्ट में सही वर्णन न कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो अस्वीकार है। फूड एनालिस्ट द्वारा एफ.एस.एस.ए. के निर्देश दिनांक 17.07.2018 की अवहेलना पर यह कार्यवाही प्रस्तुत की है जो गलत है।

उक्त घी का होल सेल व्यवसायी है जिसके यहां पैक घी ही विक्रय किया जाता है। घी के निर्माता क्वालिटी लिमि0 क्वालिटी हाउस, एफ–82, शिवाजी पैलेस राजोरिया गार्डन नही दिल्ली है एवं थोक विक्रेता प्रतिपक्षी नं0 3 है। प्रतिपक्षी नं0 3 द्वारा घी के पैकेट पर नियमानुसार वांछित समस्त जानकारियां उपलब्ध की हुई है जिसके बावजूद भी जांच अधिकारी द्वारा समस्त जानकारियां उपलब्ध की हुई है जिसके बावजूद भी जांच अधिकारी द्वारा नमूना पैकेट को **मिथ्याछाप (Mis Branded)** बताकर यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। घी निर्माता कंपनी को पक्षकार बनाये बिना कार्यवाही प्रस्तुत की है जो गलत है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि मैसर्स एच.बी. एण्ड सन्स, बी–ा 33, ऑटो मोबाईल नगर दिल्ली बाईपास जयपुर–302003 को कार्यालय के पत्रांक 60 दिनांक 5.6.2018 द्वारा फर्म सूचना एवं माल खदीद बिल से संबंधित जानकारी चाही गई, किन्तु फर्म द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः मैसर्स एच.बी. एण्ड सन्स, बी–ा 33, ऑटो मोबाईल नगर दिल्ली बाईपास जयपुर–302003 को ही अन्तिम उत्तरदायित्व पार्टी माना गया। अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की जांच रिपोर्ट क्रमांक LS 153/FSSA/Kota/Act/2018/189 दिनांक 15.03.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) 200 मि.ली. पैक** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) 200 मि.ली. पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को 5,000/–रूपये का जुर्माना, अप्रार्थी क्रम 2 को 5,000/–रूपये का जुर्माना एवं अप्रार्थी क्रम 3 को 10,000/–रूपये का जुर्माना कुल जुर्माना राशि 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के

आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)